झारखंड के उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 3280/2023

संदीप कुमार गुप्ता, आयु लगभग 32 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय ललन प्रसाद, निवासी डैम साइड गली, चांदवे, कांके रोड, डाकघर और थाना- कांके, जिला- रांची

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. काजोल कुमारी, पत्नी संदीप कुमार गुप्ता, पुत्री अशोक चौधरी, निवासी शास्त्री चौक, तिवारी गली, रातू रोड, मधुकम, डाकघर- हेहेल, थाना- सुखदेव नगर, जिला- रांची

..विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अजय कुमारपाठक, अधिवक्ता
राज्य के लिएः सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष के लिए: सुश्री चंदना कुमारी, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः - दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रांची द्वारा मूल भरण-पोषण मामला संख्या 35/2023 में दिनांक 04.09.2023 में पारित आदेश को रद्द करने के अनुरोध के साथ। जिससे और जिसके अंतर्गत कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को पति होने के नाते रु 10, 000/- प्रति माह विपक्षी पक्ष संख्या 2 को प्रत्येक उत्तरवर्ती महीनों के 10वें दिन तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में और साथ ही मामले के दायर होने की तारीख से समान किश्तों में छह महीने के भीतर अंतरिम भरण-पोषण के बकाया के रूप में, रु 5, 000/- मुकदमेबाजी लागत के रूप में देने का निर्देश दिया है।

3. मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने विपक्ष पक्ष संख्या 2 ने दिनांक 10.06.2022 को, हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों से शादी की थी। विपक्ष पक्ष संख्या 2 ने आईपीसी की धारा 498 क, 323, 34 और दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े अपराध के लिए कांके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और उसमें यह में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता एक शराबी है और विपक्षी संख्या 2 पर शराब के नशे की हालत में प्रताड़ित करता था। ऐसी स्थिति में, विपक्षी पक्ष संख्या 2 से दिनांक 01.01.2023 से याचिकाकर्ता से अलग रह रहा था। विरोधी पक्ष संख्या. 2 का मामला यह है कि याचिकाकर्ता सीएमपीडीआई लिमिटेड का कर्मचारी है और उसका वेतन लगभग रूपये 65, 000/- प्रति माह है और इसके अलावा, वह रु 12, 000/- प्रति माह किराए पर दिए गए घर से अर्जित करता है। याचिकाकर्ता ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उसे मासिक वेतन रु 53, 455.85/- है और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, कुटुंब न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 10, 000/- रुपये के मासिक रखरखाव के भुगतान के लिए विपक्षी पक्ष संख्या 2 को निर्देश दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कुटुंब न्यायालय रांची ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति में निर्धारित आधारों पर विचार और मूल्यांकन किए बिना, इस तथ्य पर विचार किए बिना अवैध रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया कि विपक्ष। पक्ष संख्या 2 एक

प्रशिक्षित ब्यूटीशियन है और रूपये 25, 000/- प्रति माह रुपये कमाता है, जो खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 04.09.2023 का आदेश, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रांची द्वारा मूल भरण - पोषण मामले संख्या 35/2023 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से विद्वत प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक 04.09.2023 के मूल भरण- पोषण संख्या 35/2023 में पारित आदेश को रद्द करने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया है कि विपक्ष पक्ष संख्या 2 एक ब्यूटीशियन है और रु 25, 000/- प्रति माह कमाती है, गलत है, और रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है, यह सुझाव देने के लिए कि या तो विपक्षी पक्ष संख्या 2 ब्यूटीशियन के रूप में काम कर रही है या वह रु 25, 000/- प्रति माह कम रही है और निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता रु 53, 455.85/- प्रतिमाह वेतन पा रहा है और यह भी निर्विवाद तथ्य है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उसे याचिकाकर्ता से अलग रहने के लिए मजबूर किया गया है; विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण की राशि निचली तरफ है और इसे रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाए।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 125 दंड प्रक्रिया सहिंता के पीछे अंतर्निहित और मौलिक सिद्धांत वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ-साथ मानसिक पीड़ा और पीड़ा की भरपाई के लिए है जो एक महिला को भुगतना पड़ता है; जब वह अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के लिए मजबूर होती है। कानून आदेश देता है कि कुछ स्वीकार्य व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह खुद को बनाए रख सके। जीविका का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। एक महिला, जो वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश है, उसे यह महसूस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह अनुग्रह से गिर गई है और जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते हुए इधर-उधर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिला को उसी तरह से जीवन जीने का अधिकार है, जैसे वह अपने पति के घर में रहती थी जहां उसके पति की स्थिति और स्तर खेल में आता है, और जहाँ पति का

कानूनी दायित्व प्रमुख हो जाता है। भरण-पोषण राशि पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि महिला गरिमा के साथ रह सके जैसा कि वह अपने वैवाहिक घर में रहती थी, जैसा कि शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया गया है 2015.5 एससीसी 705 में रिपोर्ट की गई है।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, निर्विवाद तथ्य यह है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 याचिकाकर्ता की पत्नी है और याचिकाकर्ता कम से कम रु 53, 455.85/- प्रति माह वेतन पता है और यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास विपक्ष के अलावा कोई और आश्रित के रूप में निर्भर है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि मूल भरण-पोषण मामला संख्या 35/2023 दिनांक 04.09.2023 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रांची द्वारा पारित दिनांक 04.09.2023 के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है जो अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देता है। इसलिए उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का यह कोई उचित कारण नहीं है।

9. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 12 फरवरी, 2024

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।